भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 183

21.07.2025 को उत्तर के लिए

अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वन संबंधी स्वीकृतियां

183. श्री सुखदेव भगत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) द्वारा अपनी 2023 की भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वन संबंधी स्वीकृतियों में वर्ष 2014 से 2023 तक 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पेरिस समझौते के अंतर्गत वन क्षेत्र में वृद्धि करने की सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद उक्त स्वीकृतियां दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत, 173984.3 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं सहित विभिन्न गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु अनुमोदित किया गया है। अपवर्तित वन भूमि का श्रेणीवार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

वनभूमि को अपरिहार्य परिस्थितियों में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है, बशर्ते कि प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) बढ़ाने और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान सहित पर्याप्त उपशमन उपाय किए जाएँ। मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों, जलग्रहण क्षेत्र योजना और वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि के रूप में अतिरिक्त उपशमन उपाय भी मामले-दर-मामला आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

*****

श्री सुखदेव भगत द्वारा मांगे गए 'अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वन संबंधी स्वीकृतियां' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 के लोक सभा प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक												
श्रेणी:- सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		**अवधि के दौरान: 01.04.2014 to 31.03.2024**										
क्र.सं.	श्रेणी	**2014-2015**	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**कुल योग**
1.	नहर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	6.88	3.02	2.70	**18.50**
2.	संचार चौकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	**6.54**
3.	रक्षा	1231.00	180.00	0.98	3636.83	4159.09	187.44	2601.08	421.94	261.26	2288.51	**14968.14**
4.	औषधालय/ अस्पताल	39.86	0.02	2.20	0.17	41.37	0.00	1.10	11.02	6.81	10.76	**113.31**
5.	पेयजल	6.04	69.54	28.00	21.06	17.37	234.92	513.78	63.46	144.36	183.69	**1282.21**
6.	अतिक्रमण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	8.38	0.00	**9.63**
7.	वन ग्राम रूपांतरण	0.00	966.20	0.00	929.04	285.70	0.00	210.00	298.27	394.80	166.00	**3250.00**
8.	जलविद्युत/ सिंचाई	2369.07	2282.29	3637.85	4170.11	5488.24	7447.55	2135.53	2007.30	2486.40	8113.96	**40138.31**
9.	उद्योग	1.23	66.31	0.91	37.15	181.28	12.51	43.27	31.96	5.93	25.26	**405.82**
10.	खनन/ उत्खनन	5839.45	3940.42	1762.49	4127.11	5485.27	3420.53	2396.21	3939.48	3573.97	5611.24	**40096.17**
11.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73	91.47	121.67	94.41	48.96	65.40	**437.63**
12.	अन्य	246.67	2210.91	369.54	1586.32	525.70	1276.89	1430.45	807.07	708.50	507.80	**9669.85**
13.	पेट्रोल पंप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1884.98	**1884.98**
14.	पाइपलाइन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	96.43	127.13	162.78	138.56	**543.57**

15.	विद्युत उपकेंद्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21	**38.21**
16.	विद्युत पारेषण लाइन	2429.71	1193.86	293.93	816.99	974.01	1484.70	2281.76	2731.36	3072.02	1954.35	**17232.69**
17.	रेलवे	653.06	382.96	76.22	1831.98	236.84	612.87	1049.79	1169.53	1700.60	284.78	**7998.65**
18.	पुनर्वास	242.39	0.20	300.00	0.00	0.00	0.00	42.50	86.90	75.11	833.45	**1580.55**
19.	सड़क	1576.29	2024.44	1289.34	2336.53	2087.34	2668.30	5297.73	4966.41	4603.30	3756.01	**30605.69**
20.	विद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान	0.98	2.44	0.64	6.96	12.79	0.18	0.03	40.87	6.23	12.35	**83.46**
21.	सौर ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.09	0.00	0.47	**1.57**
22.	उपकेंद्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	45.42	9.95	2.01	5.78	**76.14**
23.	दूरसंचार लाइन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	**0.59**
24.	तापीय ऊर्जा	395.85	2037.55	0.00	114.36	10.70	46.51	38.10	0.00	0.00	0.95	**2644.02**
25.	ग्रामीण बिजली	0.00	0.00	0.49	2.20	35.78	11.92	3.19	374.10	117.42	6.03	**551.13**
26.	जल/वर्षा जल संचयन संरचना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	**0.11**
27.	पवन ऊर्जा	147.34	85.11	73.33	10.76	30.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	**346.84**
कुल योग		**15178.94**	**15442.25**	**7835.92**	**19627.56**	**19587.21**	**17528.69**	**18314.23**	**17189.14**	**17381.88**	**25898.48**	**173984.30**